छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा अपने रायपुर स्थित गोदाम, बिलासा एम्पोरियम, एवं आमगाँव, राजनांदगाँव स्थित कंबल प्रोसेसिंग यूनिट मे उपलब्ध स्टॉक **(चादर, कंबल, दरी, कोसा ड्रेस मटेरियल आदि)** को बाजार योग्य उत्पादों में परिवर्तित करने तथा उसके प्रभावी विपणन हेतु इच्छुक एवं अनुभवी संस्थाओं/फर्मो/कंपनियों/एलएलपी/स्टार्टअप्स से दिनांक 05-08-2026 तक रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

उक्त EOI का विस्तृत प्रारूप ग्रामोद्योग विभाग की वेबसाईट www.ruralindustries.cg.gov.in पर दिनांक 14-07-2026 से उपलब्ध है तथा हाथकरघा संघ के बी-26, सेक्टर-07, न्यू राज़ेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.) 492001 स्थित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छुक संस्था निर्धारित प्रारूप मे अपना आवेदन तथा प्रस्ताव दिनांक 05-08-2026 शाम 5:00 बजे तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से बंद लिफ़ाफ़े मे जमा कर सकते है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

13/07/2026

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं
विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध मे महत्वपूर्ण जानकारी

क्रमांक	विवरण	जानकारी
1.	EOI जारी करने प्राधिकृत अधिकारी	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित
2.	कार्यालय का पता	बी-26, सेक्टर-07, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ. ग.) 492001
3.	दूरभाष क्रमांक	0771-4059181, 94241-06822
4.	ईमेल	cghandloom@gmail.com
5.	EOI से संबंधित समस्त जानकारी हेतु वेबसाईट	www.ruralindustries.cg.gov.in
6.	EOI जारी करने की तिथि	दिनांक 14-07-2026
7.	प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 24-07-2026
8.	EOI मे भागीदारी हेतु आवेदन शुल्क	रु 5000/-
9.	दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05-08-2026, समय शाम 5:00 बजे
10.	EOI खोलने की तिथि	दिनांक 07-08-2026, समय प्रातः 11:00 बजे
11.	मूल्यांकन एवं पात्र एजेंसी का प्रकाशन	दिनांक 13-08-2026 तक
12.	एजेंसी द्वारा स्टॉक आँकलन/परीक्षण	दिनांक 21-08-2026 तक
13.	पात्र एजेंसी का प्रस्तुतीकरण	दिनांक 24-08-2026
14.	पात्र एजेंसी से RFP का आमंत्रण	दिनांक 27-08-2026
15.	RFP जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02-09-2026, समय शाम 5:00 बजे
16.	RFP खोलने की तिथि	दिनांक 03-09-2026, समय प्रातः 11:00 बजे
17.	RFP मूल्यांकन एवं एजेंसी चयन	दिनांक 08-09-2026
18.	पीपीपी समझौते पर हस्ताक्षर	दिनांक 16-09-2026
19.	प्रस्ताव की वैधता	180 दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest - EOI)

हाथकरघा वस्त्रों के स्टॉक के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं विक्रय हेतु निजी भागीदार के चयन के संबंध में

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर (आगे "हाथकरघा संघ" कहा जाएगा) राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य की प्राथमिक हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निर्मित हाथकरघा वस्त्रों का उत्पादन, संग्रहण एवं विपणन करती है।

हाथकरघा संघ के पास वर्तमान में विभिन्न प्रकार के हाथकरघा वस्त्रों **(चादर, कंबल, दरी, कोसा ड्रेस मटेरियल आदि लगभग राशि रू. 81.00 करोड़)** का स्टॉक उपलब्ध है। उक्त स्टॉक का मूल्य संवर्धन कर उसे बाजार योग्य उत्पादों में परिवर्तित करने तथा उसके प्रभावी विपणन हेतु इच्छुक एवं अनुभवी संस्थाओं/फर्मों/कंपनियों/एलएलपी/स्टार्टअप्स (आगे "एजेंसी" कहा जाएगा) से सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मॉडल पर साझेदारी हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। EOI मे प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र एजेंसी से Request for Proposal (RFP) आमंत्रित कर एजेंसी का चयन किया जाएगा।

1. परियोजना का उद्देश्य

- हाथकरघा संघ के स्टॉक वस्त्रों का प्रभावी उपयोग
- हाथकरघा उत्पादों का मूल्य संवर्धन
- "बिलासा (Bilasa)" ब्रांड तथा नए Brands का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार
- बुनकरों एवं हाथकरघा संघ की आय में वृद्धि
- निजी क्षेत्र की डिजाइन, ब्रांडिंग एवं विपणन विशेषज्ञता का उपयोग

2. कार्य का दायरा

2.1 हाथकरघा संघ के दायित्व

- चयनित एजेंसी को स्टॉक उपलब्ध कराना
- "Bilasa" ब्रांड तथा नए Brands का स्वामित्व पूर्णतः हाथकरघा संघ के पास रहेगा। एजेंसी को किसी प्रकार का ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त नहीं होगा
- गुणवत्ता नियंत्रण
- हाथकरघा संघ के चिन्हांकित अधिकृत एम्पोरियमों में उत्पाद विक्रय की अनुमति (उपलब्धता एवं निर्धारित शर्तों के अधीन)
- प्रदर्शनियों एवं मेलों में सहभागिता (हाथकरघा संघ की स्वीकृति के अधीन)

क्रमशः 2

2.2 चयनित एजेंसी के दायित्व

- हाथकरघा संघ से निर्धारित मूल्य पर ग्रे/अनप्रोसेस्ड तथा रेडीमेड हाथकरघा कपड़े का क्रय
- नवीन डिजाइन विकास
- ग्रे वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार dyeing/processing/printing
- सिलाई एवं तैयार उत्पाद निर्माण
- रेडीमेड वस्त्रों की ब्रांडिंग/मूल्य संवर्धन/पैकेजिंग/विपणन
- पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग
- ई-कॉमर्स, ऑफलाइन, निर्यात, आधुनिक रिटेल, मल्टी ब्रांड आउटलेट एवं अन्य माध्यमों से विपणन
- उत्पादों की बिक्री उपरांत हाथकरघा संघ को देय राजस्व साझेदारी का भुगतान
- चयनित एजेंसी उक्त स्टॉक को सीधे क्रय कर स्वयं के ब्रांड के अधीन भी विक्रय कर सकेगी
- चयनित एजेंसी को हाथकरघा वस्त्रों का बार कोडिंग कराना होगा।

3. प्रस्तावित बिजनेस मॉडल

3.1 वस्त्रों का मूल्य निर्धारण

- हाथकरघा संघ मे उपलब्ध स्टॉक के उत्पादन लागत का एक तकनीकी कमेटी द्वारा मूल्य निर्धारण
- प्रत्येक प्रकार के वस्त्र की वर्तमान स्थिति अनुसार कमेटी द्वारा हाथकरघा संघ के 'मार्जिन' का निर्धारण

  एजेंसी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य = उत्पादन लागत + अधिभार (मार्जिन)
- हाथकरघा संघ मे उपलब्ध डैमेज/रिजेक्ट/क्षतिग्रस्त स्टॉक का निर्धारित क्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम हो सकेगा, किन्तु ऐसा स्टॉक जो क्षतिग्रस्त नहीं है, उसका क्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम नहीं होगा,
- तकनीकी बिड में पात्र एजेंसी द्वारा कमेटी के साथ संयुक्त रूप से उक्त स्टॉक का अवलोकन/परीक्षण किया जा सकेगा

3.2 राजस्व साझेदारी मॉडल

- चयनित एजेंसी हाथकरघा संघ से निर्धारित दर पर ग्रे/रेडीमेड वस्त्र क्रय करेगी
- वस्त्र का क्रय चयनित एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के स्त्रोत से करेगी
- चयनित एजेंसी को हाथकरघा संघ से क्रय वस्त्र का 50 प्रतिशत अग्रिम राशि देय होगा तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि हेतु बैक गारंटी/अनुबंध नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कराना होगा।
- यदि किसी चयनित एजेंसी के द्वारा शुद्ध लाभ का लाभांश हाथकरघा संघ को दिया जाता है, तो उन्हें वरीयता दी जा सकती है।
- चयनित एजेंसी को प्राप्त शुद्ध लाभ के हिस्सेदारी को हाथकरघा संघ को दिया जाना अनिवार्य नही है।

क्रमशः 3

- **शुद्ध लाभ** की गणना का प्रारूप अनुबंध का अभिन्न भाग होगा।
- राजस्व साझेदारी का निर्धारण पारस्परिक सहमति/निविदा के आधार पर होगा।
- चयनित एजेंसी का अपने ब्रांड के साथ-साथ बिलासा ब्रांड तथा नये ब्रांड को भी प्रमोट/ उपयोग करना होगा।
- चयनित एजेंसी को हाथकरघा संघ से प्राप्त पुराना स्टाक वस्त्रों का विक्रय हेतु संयुक्त खाता संधारण करना आवश्यक होगा। इस संयुक्त खाते से ही समस्त विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा।

4. पात्रता

आवेदक एजेंसी —

- भारत में विधिवत पंजीकृत कंपनी/एलएलपी/फर्म/सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनी/स्टार्टअप हो
- वस्त्र, परिधान, डिजाइन, फैशन, हैंडलूम, लाइफस्टाइल या संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो
- पिछले तीन वर्षों में किसी शासकीय संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट न किया गया हो
- एजेंसी के विरुद्ध दिवालियापन की कोई कानूनी कार्यवही लंबित ना हो
- वैध GST एवं PAN पंजीयन हो
- आयकर रिटर्न एवं वित्तीय विवरण उपलब्ध हों। विगत 03 वर्षों का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर रु 1.00 करोड़ होना आवश्यक है

5. चयन प्रक्रिया

चयन दो चरणों में किया जाएगा—

5.1 प्रथम चरण- EOI के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन

- इच्छुक एजेंसी निर्धारित प्रपत्र मे रुचि की अभिव्यक्ति EOI, प्रस्तावित कार्ययोजना निर्धारित समय अवधि मे कार्यालय मे जमा करेंगी
- प्राप्त EOI के मूल्यांकन हेतु एक कमेटी गठित की जाएगी
- निर्धारित तिथि को समस्त एजेंसी से प्राप्त EOI खोली जाएंगी

5.2 मूल्यांकन के प्रमुख मापदंड/अंक

• संस्था की वित्तीय क्षमता/टर्नोवर	-	20 अंक
• प्रस्तावित कार्ययोजना	-	20 अंक
• अनुभव	-	20 अंक
• डिजाइन विकास क्षमता	-	10 अंक
• विपणन नेटवर्क	-	10 अंक
• ई-कॉमर्स उपस्थिति	-	10 अंक
• ब्रांड निर्माण क्षमता	-	10 अंक
कुल	-	**100 अंक**
पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक	-	**60 अंक**

क्रमशः 4

- उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त एजेंसी के सूची तैयार की जावेगी
- सभी पात्र एजेंसी द्वारा कमेटी के साथ संयुक्त रूप से उक्त स्टॉक का अवलोकन/परीक्षण किया जा सकेगा
- पात्र एजेंसी से Request for Proposal (RFP)/विस्तृत प्रस्तुतीकरण/वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे
- कमेटी आवश्यकतानुसार पात्र एजेंसी से RFP आमंत्रण मे अतिरिक्त शर्ते जोड़ सकेगी।

5.3 द्वितीय चरण- Request for Proposal (RFP)

- पात्र एजेंसी द्वारा RFP के निर्धारित प्रारूप मे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करना होगा
- प्राप्त प्रस्ताव कमेटी द्वारा परीक्षण कर Quality & Cost based Selection (QCBS) आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा
- मूल्यांकन उपरांत प्राप्त प्रस्ताव पर निगोशीऐशन कर सक्षम अनुमोदन उपरांत कार्यादेश जारी किया जा सकेगा

6. विधिक एवं वित्तीय सुरक्षा

1. चयनित एजेंसी से उचित राशि की **Performance Security/Performance Bank Guarantee** ली जाएगी
2. आवश्यकतानुसार **Security Deposit** जमा करना होगा
3. हाथकरघा संघ को एजेंसी के लेखों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा
4. लाभांश का भुगतान त्रैमासिक आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विवरण के आधार पर किया जाएगा
5. हाथकरघा संघ किसी भी समय स्टॉक एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा
6. एजेंसी बिना पूर्व अनुमति किसी तृतीय पक्ष को कार्य हस्तांतरित नहीं करेगी
7. सभी कर एवं वैधानिक दायित्व एजेंसी के उत्तरदायित्व होंगे
8. अनुबंध समाप्ति पर "Bilasa" ब्रांड तथा नए Brands का उपयोग तत्काल बंद करना होगा
9. गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण प्रतिबंधित होगा
10. गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा
11. सभी उत्पादों पर आवश्यक गुणवत्ता मानकों एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पालन अनिवार्य होगा

7. अनुबंध अवधि

प्रारंभिक अवधि 01 वर्ष होगी, जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर हाथकरघा संघ द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

क्रमशः 5

8. हाथकरघा संघ के अधिकार

हाथकरघा संघ बिना कारण बताए—

- किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार अथवा निरस्त करने,
- प्रक्रिया में संशोधन करने,
- EOI रद्द करने,
- अतिरिक्त जानकारी मांगने,
- एक या एक से अधिक एजेंसियों का चयन करने,

का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

EOI जारी करना किसी एजेंसी के चयन अथवा अनुबंध प्रदान करने की बाध्यता नहीं माना जाएगा।

9. महत्वपूर्ण निर्देश

- यह केवल अभिरुचि आमंत्रण (EOI) है।
- अंतिम चयन शासन के प्रचलित भंडार क्रय नियमों, वित्तीय नियमों, सहकारिता अधिनियम एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
- विस्तृत अनुबंध में राजस्व साझेदारी, ऑडिट, बौद्धिक संपदा, गुणवत्ता नियंत्रण, विवाद निवारण, फोर्स मेज्योर, समाप्ति एवं दंड संबंधी प्रावधान सम्मिलित होंगे।

10. आवेदन

इच्छुक संस्थाएँ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, अनुभव विवरण, वित्तीय जानकारी, विपणन योजना तथा आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं
विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर